समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला नजारत प्रशाखा)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण संबंधी सूचना।

सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–7644 दिनांक–05.08.2010 द्वारा जिले में पदस्थापित, वरीय उप समाहर्त्ताओं/पदाधिकारियों को भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराया जाना है। पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत बोलेरों/टाटा सूमो/इनोवा/जाईलो/स्कॉर्पियो/सफारी/इन्डिगो या अन्य चार पहिया वाहन वरीय उप समाहर्त्ताओं/पदाधिकारियों के व्यवहार हेतु भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी अपने वाहन के सभी कागजात (निबंधन संख्या, बीमा का रसीद, अद्यतन कर भुगतान प्रमाण–पत्र) के साथ दिनांक–9.5.15 के अपराह्न 03.00 बजे अप0 तक अपना निविदा जिला नजारत शाखा में दे सकते है। निविदा दिनांक–9.5.15 को समय–04.00 बजे अप0 अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

तकनीकी निविदा की शर्त्तें :–

1. वाहन के निबंधन संख्या की अभिप्रमाणित छाया प्रति, जो व्यवसायिक अन्तर्गत निबंधित हो।
2. वाहन के बीमा का अद्यतन रसीद संलग्न किया जाय।
3. वाहन का अद्यतन कर भुगतान प्रमाण–पत्र।
4. वाहन का अद्यतन फिटनेस प्रमाण–पत्र।
5. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
6. कोई भी निविदा निर्धारित समय सीमा के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता को निविदा के साथ मो0–10000=00 (दस हजार) मात्र बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पक्ष में देय हो, संलग्न करना है।

सामान्य शर्त्तें :–

1. भाड़े पर वाहन 12 महीने के लिए लिया जायेगा।
2. भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव एवं उस पर होनेवाले तेल एवं चालक का व्यय वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।
3. भाड़े पर वाहन लिए जाने से पूर्व गाड़ी के फिटनेस की जाँच जिला प्रशासन के द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिस समिति में जिले के एम0भी0आई0 सदस्य होंगे।
4. गाड़ी चलाने की अधिकतम सीमा 1000 कि0मी0 प्रतिमाह से अधिक चालन करने पर ईंधन की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा।
5. आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट अतिथियों हेतु वांछित वाहन उपलब्ध कराना होगा।
6. वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन/संबंधित कार्यालय के अधीन रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/एजेन्सी का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उस माह का भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा और जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
7. उपर्युक्त शर्त्तों के अनुरुप मासिक न्यूनतम Bid देने वाले के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. सरकारी कार्यालय में वाहन आपूर्ति किये जाने संबंधी अनुभव प्रमाण–पत्र एवं स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. निविदादाता यदि नयी गाड़ी खरीदकर भाड़े हेतु देना चाहेंगे तो उन्हें एकरारनामा के पश्चात अधिकतम तीन महीने का समय दिया जा सकेगा, ताकि आवश्यकतानुसार बैंक से ऋण ले सकें।
10. निविदा में बिना किसी कारण संशोधन/स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
11. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
12. नियमानुसार वैट एवं आयकर की कटौती की जायेगी।
13. इसे जिले के वेबसाइट www.eastchamparan.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 21 /जि0न0, दिनांक 21/4/15

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निविदा की दस प्रतियाँ संलग्न करते हुए एवं इसकी सी0डी0 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्रों में उक्त निविदा का प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 21 /जि0न0, दिनांक– 21/4/15

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/सभी विभागाध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा का प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को इस जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 21 /जि0न0, दिनांक– 21/4/15

प्रतिलिपि :– सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।